न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार,

राजस्व अपील संख्याः– 18 /2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
शिवलाल पुत्र श्री बाबुलाल, जाति विश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1 पुखराज पुत्र श्री बाबुलाल, जाति विश्नोई, निवासी गुड़ा विश्नोईयान् तहसील लूणी, जिला जोधपुर 2 सरपंच, ग्राम पंचायत धिंगाणा (खाराबेरा पुरोहितान), तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अ

पील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.1979 जो सरपंच ग्राम पंचायत, खाराबेरा पुरोहितान् द्वारा तस्दीक किया गया।

उपस्थितः– श्री भागीरथ बिश्नोई, एडवोकेट वास्ते अपीलांण्ट

श्री ईश्वरसिंह राठौड़, एडवोकेट वास्ते रेस्पोडेण्ट संख्या 1

निर्णय दिनांकः 20/6/2021

1. अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत, खाराबेरा पुरोहितान् के नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 08.03.1979 में अपीलार्थी के नाम संशोधन बाबत् अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धिंगाणा की सरहद में स्थित खसरा संख्या 142 रकबा 47 बीघा 09 बिस्वा में से 24 बीघा भूमि दिनांक 28.01.1977 को हिम्मतसिंह व भैरूसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पुत्रगण धोकलसिंह जाति राजपूत से जरिये बेचाननामा क्रय की थी। बेचाननामा को पंजीबद्ध कराने के लिये अपीलार्थी के पिता बाबुलाल ही गये थे। तत्समय जिसके नाम बेचाननामा पंजीबद्ध किया गया जा रहा है, की उपस्थिति व उससे सम्बन्धित दस्तावेज की आवश्यकता नही होती थी। अपीलार्थी का घरेलू नाम श्रीराम या इसलिये अपीलार्थी के पिता ने तमाम कागजात में श्रीराम अंकित करवा दिया, जबकि स्कूल दस्तावेज इत्यादि में अपीलार्थी का नाम शिवलाल दर्ज करवा दिया। उक्त बेचाननामें अपीलार्थी नाबालिग तथा स्कूल भी नही जाता था इसलिये स्कूल के दस्तावेजात् एवं बेचाननामें में नाम की भिन्नता पैदा हो गई है। जबकि बाबुलाल के दो ही पुत्र शिवलाल व पुखराज ही है। इनके अलावा और कोई पुत्र नही है। बेचाननामें में वर्तमान में शुद्धिकरण करवाया जाना सम्भव नही है, क्योंकि विक्रेता फौत हो चुके है। राजस्व दस्तावेजात् में व अपीलार्थी के लिये पहचान हेतु जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, उन सब में नाम की भिनता होने से अपीलार्थी अपने आपको श्रीराम प्रमाणित नही कर सकता है, जबकि वास्तविक खातेदार जो श्रीराम लिखा गया है वह शिवलाल ही है अर्थात् श्रीराम व शिवलाल नाम के दो भिन्न व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। इसलिये श्रीराम की जगह शिवलाल किया जाना न्यायोचित है। विकल्प में श्रीराम के साथ उर्फ के रूप में शिवलाल जोडा जाना न्यायोचित व लाजमी है। इसलिये राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के दस्तावेज यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, वाहन चालक अनुज्ञा–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता, आयकर विभाग द्वारा जारी दस्तावेज, आधार कार्ड, गैस एजेन्सी में दर्ज नाम इत्यादि में अंकित शिवलाल के अनुरूप दर्ज करवाने के लिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 08.03.1979 में अपीलार्थी का नाम श्रीराम की जगह शिवलाल अंकित करने या श्रीराम के साथ उर्फ के रूप में शिवलाल जोडने के लिये अपीलाण्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का निवेदन है कि ग्राम धिंगाणा की सरहद में स्थित खसरा संख्या 142 रकबा 47 बीघा 09 बिस्वा में से 24 बीघा भूमि दिनांक 28.01.1977 को हिम्मतसिंह व भैरूसिंह पुत्रगण धोकलसिंह जाति राजपूत से जरिये बेचाननामा क्रय की थी। बेचाननामा को पंजीबद्ध कराने के लिये अपीलार्थी के पिता बाबुलाल ही गये थे। तत्समय जिसके नाम बेचाननामा पंजीबद्ध किया गया जा रहा है, की उपस्थिति व उससे सम्बन्धित दस्तावेज की आवश्यकता नही होती थी। अपीलार्थी का घरेलू नाम श्रीराम या इसलिये अपीलार्थी के पिता ने तमाम कागजात में श्रीराम अंकित करवा दिया, जबकि स्कूल दस्तावेज इत्यादि में अपीलार्थी का नाम शिवलाल दर्ज करवा दिया। उक्त बेचाननामें अपीलार्थी नाबालिग तथा स्कूल भी नही जाता था इसलिये स्कूल के दस्तावेजात् एवं बेचाननामें में नाम की भिन्नता पैदा हो गई है। जबकि बाबुलाल के दो ही पुत्र शिवलाल व पुखराज ही है। इनके अलावा और कोई पुत्र नही है। बेचाननामें में वर्तमान में शुद्धिकरण करवाया जाना सम्भव नही है, क्योंकि विक्रेता फौत हो चुके है। राजस्व दस्तावेजात् में व अपीलार्थी के लिये पहचान हेतु जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, उन सब में नाम की भिन्नता होने से अपीलार्थी अपने आपको श्रीराम प्रमाणित नही कर सकता है, जबकि वास्तविक खातेदार जो श्रीराम लिखा गया है वह शिवलाल ही है अर्थात् श्रीराम व शिवलाल नाम के दो भिन्न व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। इसलिये श्रीराम की जगह शिवलाल किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश संशोधित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 148 में श्रीराम की जगह शिवलाल विकल्प में श्रीराम के साथ उर्फ के रूप में शिवलाल जोड़ते हुए राजस्व रेकर्ड में इसी अनुरूप अंकन कराने का आदेश फरमाया जावें।

3. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट के तथ्यों का समर्थन किया तथा नामान्तरकरण संख्या 148 में अपीलान्ट का नाम श्रीराम की जगह शिवलाल विकल्प में श्रीराम के साथ उर्फ के रूप में शिवलाल जोडते हुए राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम संशोधन करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होने का कथन किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

4. दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद इस न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि नामान्तरकण संख्या 148 ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया गया हैं एवं पंजीकृत दस्तावेज में भी अपीलाण्ट का नाम श्रीराम ही दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28/6/2021 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी